राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1837/2010/सवाईमाधोपुर

श्री कुंजबिहारी पुत्र श्री देवीलाल जाति रैगर,
निवासी रैगर मोहल्ला सवाईमाधोपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक–सवाईमाधोपुर
2. श्री श्योजी पुत्र घासी जाति बैरवा
3. श्री हरिभजन पुत्र घासी जाति बैरवा
   निवासीगण किशनपुरा तहसील व जिला सवाईमाधोपुर .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री मदन लाल गुर्जर, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरना,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी संख्या 1 राजस्व की ओर से.
कोई उपस्थित नहीं .....अप्रार्थी संख्या 2 से 3 की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22/09/2014

निर्णय

प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय 09.08.2010 प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है–

(क) कृषि भूमि ग्राम आलनपुर में अवस्थित खसरा नम्बर 592/1740 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा के 1/4 हिस्से के खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से उपरोक्त खसरा का पश्चिम का शिरा जो सामने से 60 फुट और उत्तर दक्षिण 260 फिट प्रार्थी श्री कुंजबिहारी ने जरिये इकरारनामा बेचान कर कब्जा सौंप दिया था जो प्रार्थी आज भी उस भूमि पर काबिज है और कृषि कार्य हेतु उपयोग करता है।

(ख) इसी आराजी से सम्बन्धित एक दीवानी वाद संख्या 125/2005 बउनवान श्री कुंजीबिहारी बनाम श्योजी में शामिल दस्तावेज इकरारनामा को कमी मुद्रांक पर निष्पादित होना पाये जाने पर मूज ही जरिये पत्र क्रमांक लिपिक/2010/849 दिनांक 14.05.2010 के द्वारा मुद्रांक शुल्क की वसूली निर्धारित करने केलिये प्रकरण उपपंजीयक, सवाईमाधोपुर को प्रेषित किया गया। उपपंजीयक ने बिना किसी जांच किये भूमि को आवासीय भूमि दर्शाते हुये डी एल सी दर 290/– रूपये प्रतिवर्गगज से 2413.33 वर्गगज का मूल्यांकन 06,99,867/–रूपये निर्धारित कर विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय को रेफरेन्श कर दिया। विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय ने राजस्थान मुद्रांक अधिनियम की धारा 37 के तहत् प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर

उप पंजीयक द्वारा किये गये रेफरेन्स को दिनांक 09.08.2010 को स्वीकार कर लिया और मुद्रांक कर 94,130/– रूपये देय होना मान कर 26,870/–रूपये शास्ति आरोपित करते हुये कुल 01,21,000/– रूपये वसूल किये जाने के आदेश प्रसारित कर दिये। कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 09.08.2010 से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह निगरानी प्रस्तुत की है। उनका आग्रह है कि माननीय फास्ट ट्रेक न्यायालय, सवाईमाधोपुर ने अपने आदेश दिनांक 27.07.2010 जो न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय की पत्रावली के पृष्ठ संख्या 20 पर संलग्न है के अनुसार फास्ट ट्रेक न्यायालय ने दस्तावेज इकरारनामा मूल ही गिजवा कर लिखा था कि उक्त इकरारनामा पर स्टाम्प राशि एवं शास्ति राशि निश्चित कर सात दिवस में सम्बन्धित न्यायालय को सूचित करें। प्रार्थी का कहना है कि न्यायालय फास्ट ट्रेक के आदेशों के विपरीत कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय ने अपने दिनांक 09.08.2010 के आदेश द्वारा मुद्रांक कर निर्धारित करते हुये शास्ति की राशि आरोपित की साथ ही उसकी वसूली के आदेश भी कर दिये। अपने उक्त आदेश में कलक्टर (मुद्रांक) ने यह भी निर्धारित किया कि बकाया राशि जमा नहीं कराने पर वसूली जरिये कुर्की वारन्ट से मय 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल किये जाय। जो कि अनुचित है।

राज्य सरकार की ओर से श्री अनिल पोखरना, उपराजकीय अभिभाषक ने उपस्थित हो कर स्वीकार किया कि कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश दिनांक 09.08.2010 माननीय फास्ट ट्रेक न्यायालय, सवाईमाधोपुर के अनुरूप नहीं है। उन्होने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इस प्रकरण को पुनः कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय को प्रतिप्रेषित किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर गौर किया। माननीय फास्ट ट्रेक न्यायालय, सवाईमाधोपुर ने मात्र मूल दस्तावेज इकरारनामा पर मुद्रांक राशि एवं शास्ति राशि निश्चित करने के निर्देश दिये थे। कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय ने अपने निर्णय दिनांक 09.08.2010 जो मुद्रांक प्रकरण संख्या 447/10 है में अपना निर्णय धारा 37 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत पारित कर दिया है, जो अनुचित है। यदि कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय धारा 37 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करना उचित समझते है तो वे अपने विवेकानुसार यह कार्यवाही पृथक से कर सकते हैं लेकिन माननीय फास्ट ट्रेक न्यायालय, सवाईमाधोपुर द्वारा उनको प्रेषित प्रकरण में यह कार्यवाही उचित नहीं है।

अतः प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वे माननीय फास्ट ट्रेक न्यायालय, सवाईमाधोपुर के आदेशानुसार कार्यवाही करें।

फलतः कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत द्वितीय के आदेश दिनांक 09.08.2010 को अपास्त किया जाता है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 08.10.2013 को भी स्वीकार किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष